



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in



प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 12.10.2025

◆थाना सुरियावां पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में नाबालिक के साथ जघन्य अपराध करने के अभियुक्त पर लगा रासुका

◆पूर्व में पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके द्वारा कृत अपराध से 12 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को शीघ्र ही कराया जाएगा दंडित दिनांक 11.07.2025 की रात्रि में अभियुक्त द्वारा नाबालिग बालिका के साथ किए गए जघन्य अपराध किया गया। लोक व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। लोग व्यवस्था को पुन स्थापित करने के लिए स्थानीय पुलिस को काफी प्रयास करना पड़ा था। वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद भदोही में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत महिला/बालिका संबंधी अपराधों में उपरोक्त अभियुक्त पर रासुका लगाए जाने हेतु नियमित सभी साक्ष्य संकलित कर श्री शैलेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट भदोही एवं श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त राजकमल उर्फ करिया पुत्र रामजीत चौहान, निवासी-कुसा, थाना-बरसठी, जनपद-जौनपुर, उम्र 25 वर्ष, को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (अधिनियम संख्या 65/1980) की धारा-3 की उपधारा-2 में अभियुक्त को रासुका में निरुद्ध किया गया है।

पूर्व में पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके द्वारा कृत अपराध से 12 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर पूर्व में पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके द्वारा कृत अपराध से 12 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल भेजा गया है। वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को शीघ्र ही दंडित कराया जाएगा।

